

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(a) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-08/2024-25

-: आदेश :-

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20/9/24	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) सुनील हेम्रम पिता स्व0 कर्मा मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-तेतुलिया, टोला-बाघरायबेड़ा, थाना-सेक्टर 12, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-तेतुलिया, थाना नं0-38 के अन्तर्गत खाता नं0-76, प्लॉट नं0-1336, रकवा-0.11 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 247/भू0सु0, दिनांक 24.06.2024 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1585 दिनांक 06.07.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:- 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान गोपाल मांझी के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त है। बिक्रेता खतियानी रैयत का संबंध परदादा है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से बिक्रेता का संबंध दादा है। 4. बिक्रेता-ग्राम-तेतुलिया, थाना-सेक्टर 12, जिला-बोकारो एवं क्रेता-ग्राम-तेतुलिया, थाना-सेक्टर 12, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। 5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। दोनों एक ही थाना क्षेत्र अन्तर्गत आते हैं। 6. लागु नहीं है। 7. बिक्रेता संथाल जाति के हैं एवं क्रेता संथाल जाति के हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास 2.59 एकड़ जमीन अवशेष बचता है 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 6.34½ ए0 भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त बिक्रेता भूमिहीन नहीं होगा। 13. बिक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 81/1 पर बोलाई मांझी दी0 के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-1, पृष्ठ सं0-81 में अंकित है, जिसका लगान रसीद 2023-24 तक निर्गत है। 15. बिक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर बिक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म रैयति है। 18. आवेदक को मौजा-तेतुलिया, थाना नं0-38, खाता नं0-76, प्लॉट नं0-1336, रकवा-0.11 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी का प्रेषक
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2019/150866 दिनांक 10.02.2019 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRCO/2024/289079 दिनांक 20.03.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(a) के तहत आवेदक (विक्रेता) सुनील हेम्ब्रम पिता स्व० कर्मा मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-तेतुलिया, टोला-बाघरायबेड़ा, थाना-सेक्टर 12, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-तेतुलिया, थाना नं०-38 के अन्तर्गत खाता सं०-76, प्लॉट नं०-1336, रकबा-0.11 एकड़ भूमि (क्रेता) बांगी हांसदा पति-सहलाय हांसदा, जाति-संथाल, ग्राम-तेतुलिया, टोला-बाघरायबेड़ा, थाना-सेक्टर 12, जिला-बोकारो को बिक्री करने की <u>अज्ञाति</u> दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	C.C. 289079 21 24/9/24